

COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS  
FILE

*Handwritten signature and date: 01/06/2017*

रामधन गुस्त  
Complainant

Applicant

Accused

Opposite party  
मातेर खात खं यथा  
2

IN THE COURT OF SUB - DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR CHAIBASA

Misc. Case No 42/2017 of 20 .....

Section of the Indian Penal Code or other law ... U/S 107 Cr.P.C .....

Date of the Decision of the original Court .....

Date of decision of Appellate or Revisional Court .....

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of Paper	Sheets	Description	Value of Court fee Stamps	Period for which to be preserved	Remarks

Schedule XIII High Court No. (1) 01 (M) 199  
FORM OF ORDER SHEET

रामधन मुसा

बनाम

मनोहर राउत एवं

अन्य 2

Court of the sub Divisional Magistrate,  
 Sadar Chaibasa

Misc. Case No. 42/2017  
 U/S 107/113/116 (III) Cr.P.C.

04.05.2017

Order with the Signature of the Court

Office  
 action

Perused the Police report a S.I of Police मंजारी खाना Police

Station/petition of the petitions/S.D.O/C O मंजारी खाना

अप्रामाणिकी सं - 02/16 for taking action U/s

107/113/116 (III) Cr. P.C. against the member of the Both

Parties whereas on perusal of the Police report, I feel satisfaction that there exists  
 serious apprehension of breach of the peace at the instant of the member of

Both party due to अमान

संबंधित विवाद को लेकर

and that prevention of which urgently required. I in exercise of my power u/s 107  
 Cr.P.C. do hereby call upon the member of Both parties to

apper before me an 19.05.17 and like their show cause and to

why should not be ordered to execute bound of 5,000/- with securities of the like  
 amount each to keep peace for a period of one year.

04/05/17

Subdivisional magistrate  
 Sadar chaibasa

19.05.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नौरिस का नामित  
प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष रागधन मुंडा वकालतनामा  
के साथ उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य  
① मर्चेंड राउत ② देपक राउत ③ अमित कुमार राउत  
वकालतनामा के साथ उपस्थित हैं। उभय पक्ष की ओर  
से ड/रैंडर समग्र की मांग की गई है।

अगली तिथि दिनांक 13.06.17 को  
मिचिंग की जाएगी।

13.06.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय  
पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य  
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है।  
उभय पक्ष की ओर से ड/रैंडर रखित काले इत समय  
की मांग की गई है।

अगली तिथि दिनांक 27.06.17  
को मिचिंग की जाएगी।

27.06.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित है। बाद  
में प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्यों  
के द्वारा ड/रैंडर रखित किया गया है। पीठासीन फादिक  
पक्ष कार्य में व्यस्त है।

अभिलेख दिनांक 18.07.17 को रहे।

stc filed  
by 2nd  
party member

8706084

18-07-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है एवं उनके द्वारा SIC शामिल करने हेतु समग्र की भांग की गई है।  
द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपरिचय  
सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है।

अगली तिथि दिनांक 08.08.17  
की मजदूरी की जाती है।

18/07/17

08-08-17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित  
है एवं एक अनुपरिचय सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व  
हेतु आवेदन की गई है। प्रथम पक्ष उपस्थित है एवं  
उनके द्वारा SIC शामिल किया गया है।

SIC filed  
by 1st  
party

पीठासीन पदाधिकारी अग्र कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 05.09.17 को रखें।

25-09-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय  
पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपरिचय सदस्य  
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है।  
पीठासीन पदाधिकारी अग्र कार्य में व्यस्त है।

अभिलेख दिनांक 22.09.17 को रखें।

2-10-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष  
के दो सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अग्र  
कार्य में व्यस्त है।

अभिलेख दिनांक 10.10.17 को रखें।

अनुपदोस्त

10-10-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन पत्र किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी प्राथमिक कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 31-10-17 को रखा।

अनु० 205A

31-10-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है। पीठासीन पदाधिकारी प्राथमिक कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 14-11-17 को रखा।

अनु० 205A

14-11-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है। पीठासीन पदाधिकारी प्राथमिक कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 01-12-17 को रखा।

अनु० 205A

01-12-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है।

Inquiry period of 6 months has exceeded. The proceedings may be dropped.

1/12/17